न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– शारदा चौधरी, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 66/2022

1. पुनमचंद वल्द रामचंद्र कौम मेघवाल सा0 कोलासर तह0 बज्जू जिला बीकानेर
2. श्रीमति प्रेमी देवी जोजा पुनमचंद कौम मेघवाल सा0 कोलासर तह0 बज्जू जिला बीकानेर

-----वादीगण-----

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

----- प्रतिवादीगण-----

दावा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री मूलसिंह राठौड वकील वादीगण
2. राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

– : निर्णय :–

दिनांक :– 24 अप्रेल 2025

1. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ग्राम कोलासर तह0 बज्जू जिला बीकानेर के निवासी है हमारे को ग्राम कोलासर के ख0न0 430 मी में 25 बीधा बारानी भूमि का अस्थाई से स्थाई आंवटन हुआ एवं वादीगण अस्थाई आंवटन के समय से ही उक्त आंवटित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है अस्थाई आंवटन के समय वादीगण को जिस भूमि का कब्जा दिया गया उसी जगह पर ख0न0 430 मी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त स्थान पर कब्जा होने पर ही वादीगण की अस्थाई आंवटित भूमि का नवीनीकरण होता रहा व लगातार नवीनीकरण के आधार पर ही उक्त भूमि का स्थाई आंवटन किया गया वादीगण अनपढ होने के कारण खेती ही करते रहे और ना ही वादीगण को यह ज्ञान था कि उक्त आंवटित भूमि की तरमीम की जानी है। अथवा नहीं इस कारण प्रतिवादीगण द्वारा बिना मेरी सहमति बिना किसी आदेश बिना मौका जांच किए वादीगण की दुसरी जगह ख0न0 430 मी में तरमीम कर दी जो कि अविधिक होने के कारण व सही नहीं होने के कारण निरस्त की जावे।

2. सर्वप्रथम हमने वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया व प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया प्रतिवादीगण एवं राजपैरोकार ने जवाब प्रस्तुत किया जिसमें वादीगण के नाम ग्राम कोलासर पश्चिम के ख0न0 430 मी में 25 बीधा बारानी भूमि अस्थाई से स्थाई आंवटन होना स्वीकार किया जवाब के साथ प्रस्तुत दो नक्शा जिनमें एक नजरी नक्शा रूबरू मौतबिरान के तैयार किया गया है जिसमें वादीगण का सही कब्जा काश्त दर्शाया है। इसके अलावा लढा ट्रेस में दूसरी जगह की तरमीम भी दर्शाई हैं राजपैरोकार एवं प्रतिवादी यह

शारदा चौधरी
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम) बीकानेर मु. कोलायत

...न में सफल नही हुए कि उक्त तरमीम कब और किसके आदेश से की गई है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मूलसिंह राठौड ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें उक्त भूमि वादी के पिता रामचंद्र कोलासर को वर्ष 1980 में अस्थाई आवंटन ग्राम कोलासर पश्चिम के खेत खसरा न. 430 मी में 25 बीघा बारानी की गयी तत्समय पिता को हल्का पटवारी द्वारा जिस जगह पर कब्ज़ा दिया उसी जगह पर आदिनांक तक काबिज हूँ यह की वादी के माता पिता का देहावसान पर आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर सहायक आयुक्त छतरगढ मुकाम बज्जू द्वारा दिनांक 04/08/2008 को मुझ वादी के नाम उक्त भूमि आवंटन की गयी प्रार्थी द्वारा तत्समय ही भूमि पेटे समस्त राशी जमा कर दी गयी यह है कि प्रार्थी अनपढ किसान खेतीहर मजदुर होने के कारण भूमि सम्बन्धी अधिक ज्ञान नही है इसलिए आवंटन के पश्चात एक बार पटवारी हल्का को आवंटन आदेश की प्रति दी गयी थी उसके बाद कभी पटवारी हल्का या तहसील में नही गया वादी के पिता जहा काबिज थे वही प्रार्थी काबिज हुआ एवं आज तक काबिज है। बिना मौका जांच किये तरमीम कर दी गई। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम कोलासर के ख0न0 430 में बिना आदेश बिना मौका जांच के की गई तरमीम को निरस्त कर पुनः मौका पर काबिज अनुसार तरमीम के आदेश प्रसारित किए जावें प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब वाद में भी मौका कब्जा अनुसार वादी को सही बताया गया है।

3. वादी के वकील ने वाद पत्र के सलंग्न वादी का शपथ पत्र, नक्शा की प्रति, खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की एवं राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर का जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली है।

4. वाद पत्र, वाद पत्र के सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं वकील वादी की लिखित बहस के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्व की बिना किसी आदेश की गई तरमीम निरस्त की जाती है एवं उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत इस आदेश के साथ निर्देशित किया जाता है कि ग्राम कोलासर पश्चिम के ख0न0 430 मी मौका जांच कर मौका पर काबिज अनुसार तरमीम कर पालना प्रेषित करें।

5. पत्रावली तद्नुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम-बीकानेर, मु. कोलायत

(शारदा चौधरी)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत